न्यायालयः— अपर सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.।

पीठासीन अधिकारी :— आशा चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्याः— 19/2019, सी.आई.एस. नं. :— 03/2019
सी.एन.आर. नं. :— RJDK080000272019
एफ.आई.आर. नं. :— 359/2018 पुलिस थाना मकराना।
निर्णय दिनांक :— 30/06/2026

---

1. राजस्थान राज्य

—अभियोगी

बनाम

1. हिम्मतसिंह पुत्र हेमसिंह, उम्र 32 वर्ष,
2. रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा पुत्र शत्रुधनसिंह, उम्र 28 वर्ष,
3. कन्हैयालाल पुत्र भैरूबक्ष, उम्र 47 वर्ष,
4. मनोज पुत्र पोकरराम, उम्र 26 वर्ष, निवासीगण मोरेड, पुलिस थाना परबतसर, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

—अभियुक्तगण

उपस्थिति :-

राजस्थान राज्य की ओर से	—	अपर लोक अभियोजक श्री हरिकृष्ण गोपाल।
अभियुक्त सं. 1, 4 की ओर से	—	अधिवक्ता श्री अनिल कुमार जोशी, श्री अभिनव जोशी।
अभियुक्त सं. 2, 3 की ओर से	—	अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल जोशी।
परिवादी की ओर से	—	अधिवक्ता श्री अनिल कुमार सोनी।

अपराध अंतर्गत धारा 325, 397 सपठित धारा 120बी भा.दं.सं.

दिनांक :— 30/06/2026

—:: निर्णय ::—

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अयूब बन्दुकिया ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी सोने—चांदी की दुकान बिदियाद में है, जहां से दिनांक 19.09.2018 को शाम को 6:30 बजे थैले में सोने का रखड़ी का सेट, सोने का पत्ता, सोने की रखड़ी, खन्टी जोधपुरी, एक झेला पत्ता सोने का, एक सोने की चेन, छः जोड़ी चांदी की पायजेब लेकर मोटरसाईकिल से बोरावड़ जा रहा

था। करीब 07:00 बजे कोलाडूंगरी व बोरावड़ के बीच में घुमाव पर पीछे से मोटरसाईकिल पर तीन लोग आये और उसकी मोटरसाईकिल को लात मारी और उसके गिरते ही एक डन्डे से वार किया, जिससे उसके बायें हाथ में चोट आई तथा एक व्यक्ति ने उसके हाथ से बेग छीन लिया व उसकी मोटरसाईकिल की चाबी निकाल ली। जब वह संभलता, तब तक उक्त व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर भाग गये। उसके बेग में एक जिओ फोन भी था, वगैरह—वगैरह। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना ने मुकदमा संख्या 359/2018 अंतर्गत धारा 392 भा.दं.सं. में कायम कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण हिम्मतसिंह, रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा, कन्हैयालाल व मनोज के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 325, 397, 120बी भा.दं.सं. के अपराधों के आरोप में आरोप—पत्र विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना के समक्ष पेश हुआ, जिस पर विचारण करते हुए विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.07.2019 को उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया व मामला अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया।

2. आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 325, 395 सपठित धारा 120बी भा.दं.सं. के संबंध में प्रकरण कमिट होने पर बहस चार्ज सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से दिनांक 30.10.2021 को अभियुक्तगण रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा व कन्हैयालाल को तथा दिनांक 26.11.2021 को अभियुक्तगण हिम्मतसिंह व मनोज को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 325, 395 सपठित धारा 120बी भा.ंद.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये—समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन—समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में नियत की गई।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गयेः—

क्र.सं.	गवाह सं.	नाम	संबंध
1	पी.ड.—01	नवाब अली	नक्शा मौका प्रदर्श पी—1 का गवाह

2	पी.ड.–02	तैयब अली	नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 का गवाह
3.	पी.ड.–03	अयूब अली	परिवादी/एफ.आई.आर. दर्जकर्ता
4	पी.ड.–04	तनसुख जांगिड़	प्रदर्श पी–5 ता 11 का गवाह
5	पी.ड.–05	डॉ. योगेन्द्रसिंह कच्छावा	चिकित्सक
6	पी.ड.–06	पर्वतसिंह	प्रदर्श पी–05 ता 27 का गवाह
7	पी.ड.–07	दिनेश उर्फ देवकिशन	अभियुक्तगण द्वारा जिस सुनार को सोने–चांदी गलाने के लिए दिए गये
8	पी.ड.–08	उदयलाल	प्रदर्श पी–1 ता 3, 12,13 का गवाह
9	पी.ड.–09	डॉ. बलवीरसिंह ढाका	प्रदर्श पी–14 का गवाह
10	पी.ड.–10	जितेन्द्रसिंह	अनुसंधान अधिकारी
11	पी.ड.–11	छोटूसिंह	प्रदर्श पी–19 का गवाह
12	पी.ड.–12	विक्रमसिंह	प्रदर्श पी–15 ता 27 का गवाह
13	पी.ड.–13	सैयद सिराज अली जैदी	तत्कालीन एस.डी.एम.

अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गयेः–

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श
1	फर्द नक्शा मौका	प्रदर्श पी–1
2	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–2
3	चाक एफ.आई.आर.	प्रदर्श पी–3
4	फर्द शिनाख्तगी परेड	प्रदर्श पी–4
5	फर्द जप्ती 5000/–रूपये अभियुक्त मनोज	प्रदर्श पी–5
6	अभियुक्त मनोज की निशादेही से बनाया गया नक्शा मौका योजनास्थल	प्रदर्श पी–6
7	फर्द बरामदगी बांस का डण्डा	प्रदर्श पी–7
8	अभियुक्त मनोज की निशादेही से बनाया गया फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल	प्रदर्श पी–8
9	फर्द जप्ती बेग	प्रदर्श पी–9
10	अभियुक्त कन्हैयालाल की निशादेही से बनाया गया फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल	प्रदर्श पी–10
11	अभियुक्त हिम्मतसिंह की निशादेही से बनाया गया फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल	प्रदर्श पी–11
12	चोट प्रतिवेदन मोहम्मद अयूब	प्रदर्श पी–12
13	एक्स–रे रिपोर्ट	प्रदर्श पी–13
14	एक्स–रे प्लेट	प्रदर्श पी–14

15	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हिम्मतसिंह	प्रदर्श पी–15
16	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा	प्रदर्श पी–16
17	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कन्हैयालाल	प्रदर्श पी–17
18	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मनोज	प्रदर्श पी–18
19	अभियुक्तगण कन्हैयालाल, हिम्मतसिंह, रविन्द्रसिंह की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक नक्शा मौका	प्रदर्श पी–19
20	फर्द जप्ती मोटरसाईकिल	प्रदर्श पी–20
21	अभियुक्त कन्हैयालाल की निशादेही से जप्त सोने के टुकड़े की फर्द जप्ती	प्रदर्श पी–21
22	अभियुक्त रविन्द्रसिंह की निशादेही से जप्त सोने के टुकड़े की फर्द जप्ती	प्रदर्श पी–22
23	अभियुक्त हिम्मतसिंह की निशादेही से जप्त सोने के टुकड़े की फर्द जप्ती	प्रदर्श पी–23
24	नक्शामौका बरामदगीस्थल मोटरसाईकिल	प्रदर्श पी–24
25	नक्शा मौका बरामदगीस्थल सोने का टुकड़ा अभियुक्त कन्हैयालाल	प्रदर्श पी–25
26	नक्शा मौका बरामदगीस्थल सोने का टुकड़ा अभियुक्त रविन्द्रसिंह	प्रदर्श पी–26
27	नक्शा मौका बरामदगीस्थल सोने का टुकड़ा अभियुक्त हिम्मतसिंह	प्रदर्श पी–27
28	अभियुक्त हिम्मतसिंह द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की ईत्तला	प्रदर्श पी–28
29	अभियुक्त रविन्द्रसिंह द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की ईत्तला	प्रदर्श पी–29
30	अभियुक्त मनोज द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की ईत्तला	प्रदर्श पी–30
31	अभियुक्त मनोज द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की एक अन्य ईत्तला	प्रदर्श पी–31
32	अभियुक्त कन्हैयालाल द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की ईत्तला	प्रदर्श पी–32
33	अभियुक्त कन्हैयालाल द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की एक अन्य ईत्तला	प्रदर्श पी–33
34	अभियुक्त रविन्द्रसिंह द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की एक अन्य ईत्तला	प्रदर्श पी–34
35	अभियुक्त कन्हैयालाल द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की एक अन्य ईत्तला	प्रदर्श पी–35
36	अभियुक्त रविन्द्रसिंह द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की एक अन्य ईत्तला	प्रदर्श पी–36

37	अभियुक्त हिम्मतसिंह द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधि. की एक अन्य ईत्तला	प्रदर्श पी—37
38	मालखाना रजिस्टर	प्रदर्श पी—38
39	मुल्जिम कन्हैयालाल की शिनाख्तगी परेड में शामिल व्यक्तियों की सूची	प्रदर्श पी—39
40	मुल्जिम हिम्मतसिंह की शिनाख्तगी परेड में शामिल व्यक्तियों की सूची	प्रदर्श पी—40
41	मुल्जिम रविन्द्रसिंह की शिनाख्तगी परेड में शामिल व्यक्तियों की सूची	प्रदर्श पी—41
42	कवरिंग लेटर	प्रदर्श पी—42

4. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने के उपरांत अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व साक्ष्य सफाई पेश करनी चाही लेकिन कोई साक्ष्य पेश नहीं की तथा विशेष कथन में कथन किये कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. न्यायालय द्वारा विचारणीय बिन्दू यह है कि :—

   1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 19.09.2018 को शाम 07:00 बजे के लगभग कोलाडूंगरी—बोरावड़ के बीच घुमाव पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में मोटरसाईकिल पर आकर परिवादी अयूब बन्दुकिया ग्राम बिदियाद के धक्का मारकर नीचे गिराकर डंडे से मारपीट कर उसके गंभीर प्रकृति की उपहतियां कारित कर सोने—चांदी के गहनों का बेग व मोटरसाईकिल लूटकर ले गये?

   2. यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

7. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहान के कथनों से अभियोजन कहानी की ताईद होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होते हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने की प्रार्थना की।

8. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस कथन रहा है कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ किसी प्रकार की लूट व मारपीट कारित नहीं की गई है। परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है, जबकि अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ कोई लूट व मारपीट कारित नहीं की है। अभियोजन पक्ष अपना प्रकरण सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है, अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परिवादी अयूब बन्दुकिया को गवाह पी.ड. 03 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ कथनों में कथन किये कि दिनांक 19.09.2018 की बात है। उसकी सोने चांदी की बिदियाद में दुकान है। वह बोरावड से बिदियाद आना जाना मोटरसाइकिल से करता है। वह उस दिन साढे द बजे रवाना हुआ तो उसके थैले में एक रखडी सेट सोने का, एक रखडी सोने की, छः जोडी चांदी की पायजेब, एक जिओ कम्पनी का मोबाईल इनको लेकर रवाना हुआ तो कोला डूंगरी मोड पर पीछे से उसके लात मारी तो वह गिर गया फिर तीन जनों मे से दो जने उसके पास आकर एक ने डंडे मारी व दूसरे ने थैला छीन लिया व मोटरसाइकिल की चाबी छील ली। गिरने से उसके हाथ में चोट लगी जब तक वह संभल पाता तब तक तीनों मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। जिसकी सूचना पुलिस थाना मकराना को उसने दी थी। जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफ.आइ.आर. प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके पुलिस में बयान हुए थे। उसके साथ हुई सोने चांदी की लूट की कीमत चार लाख रूपये थी। उससे जेल में सभी मुल्जिमान की शिनाख्त परेड करवाई थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि प्रदर्श पी–02 में वर्णित

रखड़ी सेट में किस प्रकार के कौनसे रंग के नगीने लगे हुए थे, इस बात का उल्लेख उक्त फर्द में नहीं किया हुआ है। प्रदर्श पी–02 में एक अन्य रखड़ी का उल्लेख है, जिसमें नगीने लगे हुए नहीं थे। यह सही है कि एक झेला पत्ते में कौनसे रंग के नगीने लगे हुए थे, इसका उल्लेख प्रदर्श पी–02 व प्रदर्श डी–01 में लिखवाया है। यह सही है कि प्रदर्श पी–02 व प्रदर्श डी–01 में छः जोड़ी पायजेब किस प्रकार के थे व उनका कितना–कितना वजन था, इसका उल्लेख नहीं है। गहनों की शिनाख्तगी की कार्यवाही पुलिस ने उससे कभी भी नहीं करवाई थी। उसको परबतसर जेल में अभियुक्तगण की शिनाख्तगी करवाने के लिए दो पुलिसकर्मी साथ गए थे, जिन्होंने उसे परबतसर जेल में ले जाकर छोड़ दिया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–02 में उसने तीन व्यक्तियों का क्या हुलिया था, किस प्रकार के कपड़े पहन रखे थे, उसका उल्लेख नहीं किया। उसे लूटे गये सामान की जानकारी करीब आठ माह बाद मिली थी। यह कहना गलत है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई लूट व मारपीट नहीं हुई हो।

10. गवाह पी.ड. 01 नवाब अली, जो कि परिवादी का चाचा है, जिसने अपन मुख्य परीक्षण में कथन किये कि दिनांक 20.09.2018 को पुलिस ने उसके सामने मोहम्मद अयूब के साथ हुई लूट का नक्शा मौका हालात मौका प्रदर्श पी–01 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि उसके मौके पर हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्श पी–01 में वर्णित स्थान पर उसका घर व खेत नहीं है। प्रदर्श पी–01 में वर्णित स्थान पर दो पुलिस वाले भी मौजूद थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–01 उसके सामने नहीं बनाया हो।

11. गवाह पी.ड. 02 तैयब अली ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि दिनांक 20.09.2018 को सुबह 10:00 बजे पुलिस ने मोहम्मद अयूब के साथ हुई लूट का नक्शा मौका प्रदर्श पी–01 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उस समय उसके साथ उसके चाचा नवाब अली व अयूब मौजूद थे। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि प्रदर्श पी–01 पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्श पी–01 में वर्णित स्थान पर वह करीब 11:00 बजे पहुंचा था। वह पुलिस वालों के साथ ही मौके पर गया था।

नवाब अली उसके साथ मोटरसाईकिल पर गया था। पुलिस वालों ने सामान बताया था और कहा कि ये चीजें हैं, देख लो। उन्होंने पुलिस को बताया था कि रखड़ी सेट, कानों का पत्ता, एक रखड़ी, एक पत्ता व एक चैन तथा 05–07 पायजेब थी। प्रदर्श पी–01 में वर्णित स्थान पर आसपास में कोई मकान या नोहरा नहीं है और न ही उसका या नवाब अली का खेत है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–01 में उसके हस्ताक्षर पुलिस वालों ने खाली कागजों पर पुलिस थाना मकराना में करवाये हो।

12. गवाह पी.ड. 04 तनसुख ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि दिनांक 15.05.2019 को वह पुलिस थाना मकराना पर कॉस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 359/18 के अनुसंधान हेतु आई. ओ. जितेन्द्र सिंह चारण ने मुल्जिम मनोज की निशादेही पर उसके रहवासी मकान से 5000 रूपए बरामद कर सीलमोहर कर मार्क ए अंकित कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 बनाई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। उसी दिन मुल्जिम मनोज की निशादेही पर नक्शामौका योजनास्थल प्रदर्श पी 6 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम कन्हैयालाल की निशादेही पर एक बांस का डंडा बरामद कर सीलमोहर कर मार्क बी अंकित कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 7 बनाई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मुल्जिम मनोज की निशादेही पर नक्शामौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 8 बनाया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम हिम्मतसिंह की निशादेही पर एक बेग जब्त कर सीलमोहर कर मार्क सी अंकित कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 9 बनाई गई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मुल्जिम कन्हैयालाल की निशादेही पर बरामदगीस्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 10 बनाया गया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम हिम्मतसिंह की निशादेही पर बरामदगीस्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 11 बनाया गया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि प्रदर्श पी–07 में जप्त डंडे पर खून लगा हुआ नहीं था। जिस जगह से डंडा बरामद किया था, उस जगह वह पहली बार गया था। जहां से डंडा बरामद किया था,

वह आबादी क्षेत्र था, जहां पर अन्य लोगों के मकान भी बने हुए हैं। उक्त डंडा बाजार, गांवों व हर जगह आसानी से मिलते थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी—07 व 10 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस थाना मकराना के परिसर में करवाये हो। प्रदर्श पी—08 नक्शा मौका बरामदगीस्थल में तीन कमरे थे और परिसर में तीन चार लोग अन्य भी थे। मुल्जिम मनोज से जो रूपये बरामद किए, वह कमरे की लट्टान पर पड़े थे। उन्होंने एक खाली बेग बरामद किया था, जिसमें कुछ नहीं था। जिस कमरे से बेग बरामद किया था, उसका दरवाजा पश्चिम दिशा में खुलता है। यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श पी—09 व 11 पर हस्ताक्षर थाने पर किए हो।

13. गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण के सशपथ कथनों में कथन किये कि वह दिनांक 13.05.2019 को मकराना थाने में हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज अनुसंधान अधिकारी ने मुकदमा नम्बर 359/18 में मुल्जिम हिम्मत सिंह को उसके सामने गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुल्जिम रविन्द्र सिंह को उसके सामने गिरफतार किया था। जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 14.05.2019 को मुल्जिम कन्हैया लाल को अनुसंधान अधिकारी ने उसके सामने गिरफतार किया था। जिसकी फर्द प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 15.05.2019 को मुल्जिम मनोज की निशादेही से उसके रहवासी मकान से 5000 रूपये बरामद किये जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका प्रदर्श पी 6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम कन्हैयालाल की निशादेही से उसके रहवासी मकान से एक डण्डा बरामद किया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 10 हे जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगीस्थल नक्शामौका प्रदर्श पी 8 जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम हिम्मत सिंह की निशादेही पर उसके निवासी मकान से एक बैग बरामद किया जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 9 है जिसी पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बैग की बरामदगी का नक्शामौका प्रदर्श पी 11 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिमान कन्हैयालाल, हिम्मतसिंह,

रविन्द्र सिंह की निशादेही पर घटनास्थल तस्दीक किया जिसका नक्शामौका प्रदर्श पी 19 है। मुल्जिम रविन्द्र सिंह से एक मोटरसाइकिल होण्डा साईन जब्त कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 21 बनाई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द बरामदगी सोने का टुकडा मुल्जिम रविन्द्र सिंह की निशादेही पर जब्त कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 22 बनाई जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द बरामदगी सोने का टुकडा मुल्जिम हिम्मतसिंह की निशादेही पर जब्त कर फर्द बरामदगी प्रदर्श 23 बनाई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। नक्शामौका बरामदगीस्थल मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका बरामदगीस्थल सोने का टुकडा मुल्जिम कन्हैयालाल प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका बरामदगीस्थल सोने का टुकडा मुल्जिम रविन्द्र सिंह प्रदर्श पी 26 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका बरामदगीस्थल सोने का टुकडा मुल्जिम हिम्मतसिंह प्रदर्श पी 27 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि डंडा बरामद हुआ था, वह आसानी से बाजार में या अन्य लोगों के पास आसानी से मिल सकता है। यह कहना गलत है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श पी—10 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस थाना मकराना के परिसर में करवाए हो, उसके सामने अभियुक्त कन्हैयालाल की निशादेही से सोने का टुकड़ा बरामद नहीं किया हो और फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—21 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस थाना मकराना के परिसर में करवाये हो। अभियुक्त मनोज से 5000/—अक्षरे पांच हजार रूपये बरामद किए, वह रूपये मुल्जिम ने जिस दिन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी, उसी दिन बरामद किए थे। यह सही है कि प्रदर्श पी—09 के जरिये जो बेग बरामद हुआ, वैसे बेग हर घर में आसानी से मिल जाते हैं और पोकमैन कम्पनी के बेग बाजार में भी आसानी से मिल जाते हैं। यह सही है कि प्रदर्श पी—24 नक्शा मौका के अनुसार पृथ्वीसिंह व रविन्द्रसिंह के मकान अलग—अलग हैं, अजखुद कहा कि एक ही चारदीवारी में स्थित है। प्रदर्श पी—27 में वर्णित मकान

शामलाती मकान है, जिसमें मार्क एक्स स्थान के कमरे के कोई ताला लगा हुआ नहीं था, खुला था।

14. गवाह पी.ड. 12 विक्रमसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये कि वह दिनांक 13.05.2019 को पुलिस थाना मकराना में हैडकॉस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 359/18 में मुल्जिम हिम्मत सिंह, रविन्द्र सिंह को अनुसंधान अधिकारी ने गिरफतार कर फर्द गिरफतारी क्रमशः प्रदर्श पी 15 व पी 16 बनाई जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 14.05.2019 को मुल्जिम कन्हैयालाल व मनोज को सबजेल परबतसर से गिरफतार कर फर्द गिरफतारी बनाई गई जो क्रमशः प्रदर्श पी 17 व पी 18 है जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 20.05.2019 को मुल्जिम कन्हैयालाल, हिम्मत सिंह व रविन्द्र सिंह की निशादेही पर तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 19 बनाया गया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 25.05.2019 को मुल्जिम रविन्द्र सिंह से पृथ्वी सिंह के निवास मोरेड से एक मोटरसाईकिल होण्डा साईन नंबर आरजे 37–एसजे–4123 जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 20 बनाई जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 27.05.2019 को मुल्जिम कन्हैयालाल के रहवासी मकान से सोने का एक टुकडा वजन 27.450 ग्राम जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 21 बनाई जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 27.05.2019 को मुल्जिम रविन्द्र सिंह उर्फ बुधा के रहवासी मकान ग्राम मोरेड में उसके कमरे मे पडी लोहे की अलमारी से एक प्लास्टिक की थैली व डिब्बी में रखा ढलाई सोने का टुकडा वजन 27.250 ग्राम जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 22 बनाई जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम हिम्मत सिंह के रहवासी मकान से लोहे की आलमारी से प्लास्टिक की थैली व डिब्बी में रखा सोने का टुकडा वजन 27.00 ग्राम जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 23 बनाई जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम रविन्द्र सिंह के कब्जे से जब्तशुदा मोटरसाईकिल का नक्शामौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 24 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम कन्हैयालाल के मकान से ढलाई का सोने का टुकडा बरामद किया जिसका नक्शामौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 25 बनाया जिस पर सी से डी उसके

हस्ताक्षर है। मुल्जिम रविन्द्र सिंह के मकान से ढलाई का सोने का टुकडा बरामद किया जिसका नक्शामौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 26 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम हिम्मत सिंह के मकान से ढलाई का सोने का टुकडा बरामद किया जिसका नक्शामौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 27 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि प्रदर्श पी–20 के जरिये जप्तशुदा मोटरसाईकिल वाला स्थल आबादी क्षेत्र में है और सी.आई. साहब द्वारा मौतबीर बनने की हिदायत पर स्वतंत्र गवाह तैयार नहीं होने पर उसे व पर्वतसिंह हैड कांस्टेबल को गवाह बनाया। यह सही है कि प्रदर्श पी–24, 26 व 27 में वर्णित स्थान आबादी क्षेत्र में स्थित है। सामान्यतः नक्शा मौका बरामदगी बनाने में 15 मिनट का समय व जप्ती में करीब 30–45 मिनट का समय लगता है।

15. गवाह पी.ड. 08 उदयलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये कि वह दिनांक 19.09.2018 को पुलिस थाना मकराना पर थाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था उस दिन रात्रि में करीब आठ बजे के आसपास परिवादी श्री मोहम्मद अयूब बन्दूकिया निवासी बोरावड़ उपस्थित थाना आकर उसके समक्ष एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट पेश की जो प्रदर्श पी 02 है जिसकी कार्यवाही पुलिस उसके द्वारा लिखी गई जो सी से डी है व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 03 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मजरूब का चोट का मेडिकल परीक्षण करवाकर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श पी 12 है जिस पर सी से डी शामिल पत्रावली का अंकन व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मोहम्मद अयूब की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है जिस पर सी से डी शामिल पत्रावली का अंकन व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका हालातमौका प्रदर्श पी 01 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। परिवादी मोहम्मद अयूब के धारा 161 के बयान उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए। उसका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने पर पत्रावली उसके द्वारा एसएचओ को सुपुर्द कर दी गई। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि यह सही है कि प्रदर्श पी–02 रिपोर्ट परिवादी उसके समक्ष लिखी हुई लाया था।

16. गवाह पी.ड. 05 डॉ. योगेन्द्र सिंह कच्छावा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन कि वह दिनांक 19.09.2018 को चिकित्साधिकारी के पद पर सीएचसी मकराना में पदस्थापित था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर मोहम्मद अयूब का चोट सम्बंधी मेडिकल परीक्षण किया था। जिसकी रिपोट्र प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मोहम्मद अयूब की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 14 है जिसके लिफाफे पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–12 में वर्णित चोट नं. 01 में किसी प्रकार की बाह्य चोट का निशान, सूजन या नीलगू निशान अंकित नहीं था। उक्त चोट पहले से किसी प्रकार की अंदरूनी कोई चोट हो या बायें हाथ के बल गिर जाए तो इस प्रकार का दर्द होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रदर्श पी–13 में वर्णित अस्थिभंग मजरूब के हाथ के बल गिर जाने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

17. गवाह पी.ड. 09 डॉ. बलवीर सिंह ढाका ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये कि वह दिनांक 06.10.2018 को राजकीय चिकित्सालय कुचामन सिटी में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित था उस दिन मोहम्मद अयूब पुत्र इकरामुदीन उम्र 50 वर्ष निवासी बोरावड़ का एक्सरे किया था। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 14 है जिसके लिफाफे पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

18. गवाह पी.ड. 10 जितेन्द्र सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये कि वह दिनांक 10.05.2019 को पुलिस थाना मकराना में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन एफ.आई.आर. नबर 359/18 का अवलोकन किया व मुल्जिमान की तलाश करता हुआ दिनांक 13.05.2019 को मुल्जिम हिम्मतसिंह को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 15 बनाई जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के ई से एफ मुस्लिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुल्जिम रविन्द्र सिह को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शन पी 16 बनाई जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 14.05.2019

को मुल्जिम कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 17 बनाई जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम मनोज को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 18 बनाई जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम हिम्मत सिह द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला दी गई जो प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी मुल्जिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम रविन्द्र सिंह द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतना दी गई जो प्रदर्श पी 29 है। जिस पर ए से बी मुल्जिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम मनोज द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला दी गई जो प्रदर्श पी 30 है जिस पर ए से बी मुल्जिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम मनोज द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की एक अन्य इत्तला दी गई जो प्रदर्श पी 31 है। जिस पर ए से बी मुल्जिम के व सी से ही उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम कन्हैया लाल द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी गई जो प्रदर्श पी 32 है जिस पर ए से बी मुल्जिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम कन्हैयालाल द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की एक अन्य इत्तला दी गई जो प्रदर्श पी 33 है जिस पर ए से बी मुल्जिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जि रविन्द्र सिंह द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की एक अन्य इत्तला दी गई जो प्रदर्श पी 34 है जिस पर ए से वी मुल्जिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम कन्हैयालाल द्वारा धारा 27 साध्य अधिनियम की एक अन्य इत्तला दी गई जो प्रदर्श पी 35 है जिस पर ए से बी मुल्जिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम रविन्द्र सिंह द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की अन्य इत्तला दी गईं जो प्रदर्श पी 36 है जिस पर ए से बी पुलिस के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम हिम्मत सिंह द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की अन्य इत्तला दी गई जो प्रदर्श पी 37 है जिस पर ए से बी मुल्जिम के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिमान की शिनाख्तगी परेड प्रदर्श पी 04 है फर्द बरामदगी नकद राशि मनोज प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना

सील अंकित है। फर्द तस्दीक नक्शामौका प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हरताक्षर है। फर्द बरामदगी डण्डा मुल्जिम कन्हैयालाल प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शामौका डण्डा बरामदगीस्थल मुल्जिम मनोज प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी एक बैग मुल्जिम हिम्मतसिंह प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम जी से एच मेरे हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द नक्शामौका बरामदगीस्थल कन्हैयालाल प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शामौका बरामदगीस्थल हिम्मत सिंह प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक घटनास्थल कन्हैयालाल, हिम्मत सिंहव रविन्द्र सिंह प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ, जी से एच व आई से जे मुल्जिमान व के से एल उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी सोने का टुकडा कन्हैयालाल प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द बरामदगी ढलाई किया हुआ सोने का टुकडा रविन्द्र सिंह प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द बरामदगी सोने का टुकडा हिम्मत सिंह प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द नक्शामौका बरामदगीस्थल रविन्द्र सिंह प्रदर्श पी 24 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शामौका बरामदगीस्थल कन्हैयालाल प्रदर्श पी 25 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व

जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शामौका बरामदगीस्थल रविन्द्र सिंह प्रदर्श पी 26 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शामौका बरामदगीस्थल हिम्मत सिंह प्रदर्श पी 27 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुल्जिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसने देवकिशन उर्फ दिनेश सोनी के धारा 161 सी.आर.पी.सी. के बयान उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किए। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 38 है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 38ए है। पुलिस थाना मकराना से कॉस्टेबल सुरेश बेल्ट नंबर 1220 ने एक मालखाना रजिस्टर, एक बांस का डण्डा व चार सीलशुदा लाकर पेश किये, जिसको अपर लोक अभियोजक ने खोलने की अनुमति चाही जिस पर अनुमति दी गई। जब्तशुदा बास का डण्डा आर्टिकल 01 है जिसकी चिटचेपा पर ए से बी गवाह के, सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। सीलशुदा पैकेट खोला गया जिसमे 100 रूपए के 50 नोट निकले, जो आर्टिकल 02 है जिसकी चिटचेपा पर ए से बी गवाह के, सी से डी मुल्जिम के तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित हैं। सीलशुदा पैकेट खोला गया जिसमें एक बैग मिला जो आर्टिकल 03 है। सीलशुद्ध पैकेट खोला गया जिसमे एक सोने जैसी धातु वजन 27.450 ग्राम आर्टिकल 04 है जिसकी चिटचेपा पर ए से बी, सी से डी गवाह के, ई से मुल्जिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। सीलशुदा पैकेट खोला गया जिसमें एक सोने जैसी धातु वजन 27.000 ग्राम आर्टिकल 05 है जिसकी चिटचेपा पर ए से बी, सी से डी गवाह के, ई से एक मुल्जिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। सीलशुदा पैकेट खोला गया जिसमे एक सोने जैसी धातु वजन 27.250 ग्राम आर्टिकल 06 है जिसकी चिटचेपा पर ए से बी, सी से डी गवाह के ई से एफ मुल्जिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। बाद अनुसंधान उसने मुल्जिमान हिम्मत सिंह, रविन्द्र सिंह, कन्हैयालाल, मनोज के विरुद्ध धारा 325,397,120बी आईपीसी में अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। दौराने जिरह गवाह ने कथन

किये कि यह कहना गलत है कि उसने अनुसंधान को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रदर्श पी–17 में मुल्जिम को बापर्दा रहने की हिदायत का तथ्य मनमाने ढंग से लिखाया हो, मुल्जिम कन्हैयालाल बापर्दा नहीं रहा हो। यह सही है कि प्रदर्श पी–32 व 37 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। यह सही है कि प्रदर्श पी–37 ईबारत उसके रीड विक्रमसिंह की टाईप की हुई है। यह सही है कि प्रदर्श पी–25 में वर्णित घर के मालिकाना के संबंध में गांव के सरपंच से कोई तफ्तीश नहीं की थी। यह सही है कि प्रदर्श पी–21 में वर्णित सोने के टुकड़े की कोई पहचान की कार्यवाही नहीं करवाई थी। यह सही है कि प्रदर्श पी–19 में वर्णित घटनास्थल का उसने दिनांक 30.05.2019 को दोपह 03:10 से पहले भी मौका देखा था। यह सही है कि प्रदर्श पी–15 में मुल्जिम के बाएं पैर की नली पर पुरानी चोट का निशान था, जो दिखाई देता था। यह सही है कि प्रदर्श पी–16 में मुल्जिम रविन्द्रसिंह के दायीं आंख पर पुरानी चोट का निशान दिखाई देता था। शिनाख्तगी की कार्यवाही के समय वह जेल पर नहीं गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–02 में वर्णित सोने का रखड़ी सेट, पत्ता सोने का, एक रखड़ी सोने की जोधपुरी, एक झेला पत्ता सोने का, एक सोने की चेन बताया है लेकिन बरामदगी में ऐसा सामान बरामद नहीं हुआ है और न ही चांदी की पायजेब बरामद हुई है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–09 में वर्णित बेग का हुलिया है, वैसा बेग परिवादी के हाथ में हो, इस बाबत् प्रदर्श पी–02 में अंकन नहीं है, केवल उसके बेग का अंकन है।

19. गवाह पी.ड. 11 छोटूसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये कि वह दिनांक 20.05.2020 को पुलिस थाना मकराना में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस रोज मुकदमा नम्बर 359/2018 में पुलिस तस्दीक घटना स्थल बनाया गया जो प्रदर्श पी 19 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि वह घटनास्थल के आस–पड़ौस के स्थल नहीं बता सकता। प्रदर्श पी–19 में क्या लिखा है, वह पत्रावली देखकर बता सकता है। उक्त फर्द में जिस जगह की तस्दीक की है, वह पूर्व में देखा जा चुका है। यह कहना सही है कि उक्त फर्द में वर्णित घटनास्थल पर अनुसंधान अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के

साथ जा चुके हैं।

20. गवाह पी.ड. 13 सैयद सिराज अली जैदी, जो कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी मकराना हैं, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये कि वह दिनांक 17.05.2019 को मकराना उपखण्ड अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना मकराना में दर्ज मुकदमा संख्या 359 / 2018 में संदिग्ध व्यक्तियों की शिनाख्तगी हेतु उपकारागृह परबतसर पहुंचा। जहां पर हिम्मत सिंह पुत्र हेमसिंह, जाति राजपूत निवासी मोरेड, रविन्द्र सिंह उर्फ बुद्धा पुत्र शत्रुघ्न सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मोरेड, कन्हैयालाल पुत्र भैरूबक्ष जाति ब्राहम्ण निवासी मोरेड की शिनाख्तगी की जाने बाबत् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा उसको दिनांक 15.05.2019 को तहरीर आदेश प्राप्त हुआ था जिस पर वह दिनांक 17.05.2019 को उपकारागृह परबतसर पहुंचा। मुल्जिम कन्हैयालाल पुत्र भैरूबक्ष की शिनाख्तगी हेतु सात अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए कुल आठ व्यक्ति पंक्तिबद्ध एक ही जैसे कदकाठी के थे जो अन्य व्यक्ति शामिल किए गए थे। मुल्जिम कन्हैयालाल की शिनाख्तगी परेड में शामिल व्यक्तियों की सूची प्रदर्श पी 39 है। प्रदर्श पी 39 पर ए से बी उपकारापाल परबतसर के हस्ताक्षर है। मुल्जिम हिम्मत सिंह पुत्र हेमसिंह की शिनाख्तगी हेतु सात अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए कुल आठ व्यक्ति पंक्तिबद्ध एक ही जैसे कदकाठी के थे जो अन्य व्यक्ति शामिल किए गए थे। मुल्जिम हिम्मत सिंह की शिनाख्तगी परेड में शामिल व्यक्तियों की सूची प्रदर्श पी 40 है। प्रदर्श पी 40 पर ए से बी उपकारापाल परबतसर के हस्ताक्षर है। मुल्जिम रविन्द्र सिंह उर्फ बुद्धा पुत्र शत्रुघ्न सिंह की शिनाख्तगी हेतु सात अन्य व्यक्तियों को शामिल करते हुए कुल आठ व्यक्ति पंक्तिबद्ध एक ही जैसे कदकाठी के थे जो अन्य व्यक्ति शामिल किए गए थे। मुल्जिम रविन्द्र सिंह उर्फ बुद्धा की शिनाख्तगी परेड में शामिल व्यक्तियों की सूची प्रदर्श पी 41 है। मुल्जिमान की उसके समक्ष की गई शिनाख्तगी परेड प्रदर्श पी 4 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह मोहम्मद अयूब द्वारा संदिग्ध कन्हैया लाल पुत्र भैरूबक्ष के कंधे पर हाथ लगाकर पहचान की गई। शिनाख्तगी परेड के समय वह मुल्जिमान, अन्य एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति, गवाह मोहम्मद अयूब पुत्र इकरामूदीन

मौजूद थे। गवाह मोहम्मद अयूब द्वारा एक अन्य व्यक्ति मनोज पुत्र पोखरराम के कंधे पर हाथ रखा गया था जो की अभियुक्त कन्हैयालाल की शिनाख्तगी की सूची उपकारागृह परबतसर के द्वारा पेश सूची में शामिल व्यक्तियों में शामिल था। गवाह के द्वारा मनोज पुत्र पोखरराम की पहचान की गई शिनाख्तगी परेड के दस्तावेज जो उसके द्वारा मनोज पुत्र पोखरराम की गलत पहचान का अंकन किया गया है वह इस कारण से किया गया है कि मनोज पुत्र पोखरराम की शिनाख्तगी बाबत उसको न्यायालय से पहचान करवाये जाने बाबत आदेश प्राप्त नहीं था लेकिन गवाह मोहम्मद अयूब के द्वारा मनोज पुत्र पोखरराम के कंधे पर उसके सामने पहचान के बाबत हाथ रखा गया जिसका इन्द्राज शिनाख्तगी परेड पर इ से एफ पर है जिस कारण उसके द्वारा शिनाख्तगी परेड के कॉलम 9 पर इस बाबत इ से एफ इन्द्राज किया गया। शिनाख्तगी परेड प्रदर्श पी 4 पर जी से एच मुल्जिम कन्हैया लाल के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 4 पर ए से बी स्थान पर गवाह मोहम्मद अयूब के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 4 पर आई से जे स्थान पर मनोज के हस्ताक्षर तथा के से एल स्थान पर उपकारापाल के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा बाद कार्यवाही दिनांक 18.05.2019 को शिनाख्तगी कार्यवाही के कागजात जरिए पत्र एसीजेमएम न्यायालय मकराना को प्रस्तुत किए जिसका कवरिंग लैटर प्रदर्श पी 42 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किये कि यह सही है कि प्रदर्श पी–04 में हिम्मतसिंह की पहचान करने का हवाला नहीं है।

21. पत्रावली पर उपलबध उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो जहां तक कि अभियुक्तगण पर दिनांक 19.09.2018 को शाम 07:00 बजे के लगभग कोलाडूंगरी–बोरावड़ के बीच घुमाव पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में मोटरसाईकिल पर आकर परिवादी अयूब बन्दुकिया ग्राम बिदियाद के धक्का मारकर नीचे गिराकर डंडे से मारपीट कर उसके गंभीर प्रकृति की उपहतियां कारित कर सोने–चांदी के गहनों का बेग व मोटरसाईकिल लूटकर ले जाने का प्रश्न है अर्थात् धारा 325, 397 सपठित धारा 120बी भा.दं.सं. का प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन पक्ष की

ओर से हस्तगत प्रकरण में परिवादी/आहत मोहम्मद अयूब को पी.ड. 03 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया कि घटना दिनांक 19.09.2018 की है। वह बोरावड़ से बिदियाद अपनी मोटरसाईकिल से आता—जाता है। जब वह उक्त दिनांक को 6:30 बजे रवाना हुआ तो उसके बेग में एक सोने का रखड़ी सेट, एक सोने का पत्ता, एक सोने की जोधपुरी कंठी, एक सोने की चेन, छः जोड़ी चांदी की पायजेब, एक जीओ कम्पनी का मोबाईल आदि थे। वह वह घटनास्थल पर पहुंचा तो पीछे से तीन व्यक्ति आये और उसकी मोटरसाईकिल को लात मारी, जिससे वह गिर गया। दो व्यक्तियों ने आकर उसके डंडे की मारी और एक ने थैला छीन लिया। गिरने से उसके चोटें आई और मौके से अभियुक्तगण मोटरसाईकिल लेकर भाग गये। इस संबंध में आगे गवाह ने कथन किया कि उसने पुलिस थाना मकराना में कार्यवाही करने के लिए तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—02 दी थी।

22. इस संबंध में एफ.आई.आर. प्रदर्श पी—02 व परिवादी पी.ड. 03 मोहम्मद अयूब के कथनों का अवलोकन किया जावे तो किन व्यक्तियों के द्वारा परिवादी के साथ घटनास्थल पर गंभीर उपहति कारित कर लूट कारित की गई थी, इस बाबत् एफ.आई.आर. प्रदर्श पी—02 में कोई तथ्य वर्णित नहीं है और इस बाबत् भी तथ्य अंकित नहीं है कि उन व्यक्तियों के क्या नाम थे। साथ ही परिवादी पी.ड. 03 ने न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयानों के दौरान भी अभियुक्तगण के नाम नहीं बताये हैं लेकिन स्वयं परिवादी पी.ड. 03 ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किये हैं कि उससे जेल में अभियुक्तगण की शिनाख्तगी परैड करवाई गई, जिसकी फर्द शिनाख्तगी परैड प्रदर्श पी—04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पत्रावली पर अभियोजन पक्ष व अभियुक्त पक्ष की ओर से ऐसी साक्ष्य नहीं आई है कि अभियुक्तगण पूर्व से परिवादी को या परिवादी पूर्व से अभियुक्तगण को जानता हो अर्थात् लूट कारित करने वाले व्यक्तियों को परिवादी पहले से जानत हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि गंभीर उपहति कारित कर लूट का अपराध अचानक किया जाता है, अतः ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी—02 व अपने स्वयं के बयानों में मात्र अभियुक्तगण के नाम नहीं बताये जाने से भी

अभियोजन पक्ष की साक्ष्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

23. अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्र ने जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, उनकी शिनाख्तगी परिवादी पी.ड. 03 मोहम्मद अयूब से करवाई है, जिसकी शिनाख्तगी रिपोर्ट प्रदर्श पी–04 है। उक्त शिनाख्तगी जिस तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के द्वारा की गई थी, उसे अभियोजन पक्ष की ओर से पी.ड. 13 सैयद सिराज अली जैदी के रूप में परीक्षित करवाया है। परिवादी पी.ड. 03 ने जो अपनी साक्ष्य में कथन कथित किये हैं, उससे यह तथ्य तो साबित है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा लूट कारित की गई थी, वह मोटरसाईकिल पर सवार होकर आये थे और वे तीन व्यक्ति थे। इस संबंध में शिनाख्तगी की कार्यवाही करने वाले तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी मकराना पीड. 13 सैयद सिराज अली जैदी ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया है कि दिनांक 17.05.2019 को शिनाख्तगी कार्यवाही हेतु उपकारागृह परबतसर पहुंचा। उसे वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण हिम्मतसिंह, रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा व कन्हैयालाल की शिनाख्तगी हेतु आदेश प्राप्त हुआ था। अभियुक्त कन्हैयालाल, अभियुक्त रविन्द्र उर्फ बुधा व अभियुक्त हिम्मतसिंह की शिनाख्तगी परैड हेतु शामिल व्यक्तियों की सूची प्रदर्श पी–39 ता प्रदर्श पी–41 है, जिसमें यह तथ्य अंकित है कि उक्त अभियुक्तगण से मिलते–जुलते ही व्यक्तियों को शिनाख्तगी परैड में शामिल किया गया था। उक्त गवाह पी.ड. 13 ने आगे कथन किया कि मुल्जिमान की शिनाख्तगी परेड की फर्द प्रदर्श पी–04 है। शिनाख्तगी परैड के समय वह, अभियुक्तगण और परिवादी मोहम्मद उपस्थित थे। परिवादी मोहम्मद अयूब के द्वारा संदिग्ध कन्हैयालाल के कंधे पर हाथ रखकर पहचान की गई और परिवादी मोहम्मद अयूब के द्वारा मनोज पुत्र पोखरराम के कंधे पर हाथ रखा गया, जो कि उपकारागृह परबतसर के द्वारा पेश सूची में शामिल व्यक्तियों में शामिल था। परिवादी मोहम्मद अयूब के द्वारा मनोज पुत्र पोखरराम की पहचान की गई। उसके बाबत् शिनाख्तगी परैड में उसके द्वारा मनोज पुत्र पोखरराम की गलत पहचान का अंकन इस कारण से किया गया, क्योंकि उक्त मनोज पुत्र पोखरराम की शिनाख्तगी बाबत् उसे न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। शिनाख्तगी परैड पर

उसके स्वयं के, परिवादी के और अभियुक्तगण कन्हैयालाल व मनोज के भी हस्ताक्षर हैं।

24. इस प्रकार तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पी.ड. 13 सैयद सिराज अली जैदी की साक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि अभियुक्तगण हिम्मतसिंह, कन्हैयालाल व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा की शिनाख्तगी कार्यवाही के बाबत् उक्त गवाह को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश से आदेश प्राप्त हुआ था। चूंकि उक्त आदेश की पालना में उक्त गवाह पी.ड. 13 की उपस्थिति में परिवादी मोहम्मद अयूब ने अभियुक्त कन्हैयालाल की मौके पर सही रूप से पहचान की है तथा अभियुक्त कन्हैयालाल की शिनाख्तगी परैड में शामिल अन्य व्यक्ति मनोज पुत्र पोखरराम को भी पहचाना है लेकिन यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मनोज पुत्र पोखरराम भी हस्तगत प्रकरण का अभियुक्त है। स्वयं गवाह पी.ड. 13 तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसे मनोज पुत्र पोखरराम की शिनाख्तगी किये जाने बाबत् आदेश प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन दौराने शिनाख्तगी परिवादी मोहम्मद अयूब ने मौके पर मनोज पुत्र पोखरराम की पहचान की थी, अतः ऐसी स्थिति में फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी—04 के कॉलम नं. 09 में उक्त गवाह द्वारा मनोज पुत्र पोखरराम के संबंध में टिप्पणी की कि गलत पहचान की गई है, इस बाबत् कॉलम नं. 09 में अंकन किया गया है। यह अंकन इस कारण से किया गया क्योंकि उक्त मनोज पुत्र पोखरराम की शिनाख्तगी कार्यवाही किये जाने के बाबत् उक्त गवाह को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त गवाह पी.ड. 13 के बयानों के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा व हिम्मतसिंह की पहचान परिवादी मोहम्मद अयूब के द्वारा की गई, ऐसा कोई शिनाख्तगी परैड में अंकन नहीं है। हालांकि यह सही है कि अभियुक्त मनोज पुत्र पोखरराम की शिनाख्तगी की कार्यवाही किये जाने के बाबत् तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था लेकिन उपकारागृह उपकारापाल परबतसर के द्वारा अभियुक्त कन्हैयालाल की शिनाख्तगी में जो अन्य 09 लोग शामिल किये गये थे, उसमें हस्तगत प्रकरण के अभियुक्त मनोज पुत्र पोखरराम को भी अभियुक्त कन्हैयालाल के साथ खड़ा किया गया था।

25. पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि जब उपखण्ड अधिकारी पी.ड. 13 के द्वारा शिनाख्तगी की कार्यवाही की जा रही थी तो उस समय उक्त गवाह पी.ड. 13 को यह ज्ञात होना संभव नहीं था कि मनोज पुत्र पोखरराम भी हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त है। चूंकि अभियुक्त मनोज पुत्र पोखरराम की जो पहचान की गई है, उस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अभियुक्त मनोज पुत्र पोखरराम को दिनांक 14.05.2019 को जरिये फर्द प्रदर्श पी—18 गिरफ्तार किया गया। उक्त फर्द गिरफ्तारी में ऐसा कोई अंकन नहीं है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात् से शिनाख्तगी की कार्यवाही से पूर्व तक बापर्दा रखा गया हो, जबकि अन्य अभियुक्तगण हिम्मतसिंह, कन्हैयालाल व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा को जरिये फर्द गिरफ्तार करने के पश्चात् ही उन्हें बापर्दा रखा जाने बाबत् अंकन उक्त फर्द गिरफ्तारियों में है। विधिनुसार शिनाख्तगी की कार्यवाही के समय से पूर्व तक जिस व्यक्ति की शिनाख्तगी की जानी होती है, उसे बापर्दा रखा जाना आवश्यक है लेकिन अभियुक्त मनोज पुत्र पोखरराम को गिरफ्तारी के समय से शिनाख्तगी से पूर्व तक बापर्दा रखा गया हो, ऐसा कोई अंकन फर्द गिरफ्तारी में नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में हालांकि शिनाख्तगी रिपोर्ट प्रदर्श पी—04 में अभियुक्त मनोज पुत्र पोखरराम गलत पहचान करने का अंकन है, इस बाबत् गवाह पी.ड. 13 सैयद सिराज अली जैदी ने कथन कथित किया है कि परिवादी ने उक्त मनोज पुत्र पोखरराम के कंधे पर पहचान किये जाने बाबत् हाथ रखा था, जिस कारण उक्त प्रदर्श पी—04 रिपोर्ट के कॉलम सं. 09 में इस बाबत् अंकन किया गया था लेकिन जिस व्यक्ति मनोज पुत्र पोखरराम की शिनाख्तगी गवाह पी.ड. 13 अपने समक्ष परिवादी के द्वारा किया जाना बताता है, उक्त मनोज पुत्र पोखरराम को गिरफ्तारी से लेकर शिनाख्तगी से पूर्व तक बापर्दा रखा गया हो, ऐसा पत्रावली के अवलोकन से साबित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्त मनोज पुत्र पोखरराम के संबंध में की गई शिनाख्तगी विधिवत् शिनाख्तगी नहीं मानी जा सकती है।

26. चूंकि मौके पर शिनाख्तगी कार्यवाही के दौराने परिवादी मोहम्मद अयूब ने जिन—जिन व्यक्तियों की पहचान की, उस बाबत् गवाह पी.ड. 13 ने

शिनाख्तगी परेड में अंकन कर दिया। गवाह पी.ड. 13 ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जैसी स्थिति थी, उसके आधार पर ही उसने उक्त शिनाख्तगी परेड प्रदर्श पी—04 में अंकित किया। चूंकि लूट की कार्यवाही में परिवादी के साथ जिन व्यक्तियों के द्वारा मौके पर मारपीट कर लूट कारित की गई थी, उस बाबत् परिवादी के साथ जिसने घटना कारित की थी और जिसे वह पहचान सकता था, उसे परिवादी ने उक्त शिनाख्तगी परैड प्रदर्श पी—04 में गवाह पी.ड. 13 तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पहचान लिया। शिनाख्तगी रिपोर्ट प्रदर्श पी—04, गवाह पी.ड. 13 तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सैयल सिराज अजी जैदी व परिवादी पी.ड. 03 मोहम्मद अयूब के कथनों से यह तथ्य साबित है कि मौके पर अभियुक्त कन्हैयालाल को परिवादी मोहम्मद अयूब ने पहचाना था अर्थात् उक्त अभियुक्त कन्हैयालाल ने परिवादी मोहम्मद अयूब के साथ गंभीर उपहति कारित कर लूट का अपराध किया था, जिसमें उक्त अभियुक्त कन्हैयालाल शामिल था।

27. जहां तक कि हस्तगत प्रकरण में **बरामदगी** का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो **अभियुक्त कन्हैयालाल** से अनुसंधान अधिकारी के द्वारा सोने के टुकड़े और घटना में इस्तेमाल होने वाले डंडे को बरामद किया गया है, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्र सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त कन्हैयालाल के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जो प्रदर्श पी—33 व अभियुक्त कन्हैयालाल के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की एक अन्य ईत्तला दी गई, जो कि प्रदर्श पी—35 है, है, जिन पर ए से बी अभियुक्त और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द बरामदगी डंडा प्रदर्श पी—07, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका डंडा प्रदर्श पी—10 है, जिन पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, ई से एफ अभियुक्त के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—21 व फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—25 है, जिन पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ अभियुक्त व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

28. फर्द बरामदगी डंडा व सोने का टुकड़े अभियुक्त कन्हैयालाल की निशादेही

से जिन गवाहान के समक्ष बरामद किये गये हैं, उन गवाहान को पी.ड. 04 तनसुख, पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस संबंध में गवाह पी.ड. 04 तनसुख ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त कन्हैयालाल की निशादेही पर एक बांस का डंडा बरामद कर मार्क बी अंकित कर फर्द जप्ती प्रदर्श पी—07 बनाई, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है तथा अभियुक्त कन्हैयालाल की निशादेही पर ही उक्त डंडे के बरामगदीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी—10 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

29. इसी प्रकार फर्द बरामदगी / जप्ती डंडा प्रदर्श पी—07 व फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका डंडा प्रदर्श पी—10 के अन्य गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त कन्हैयालाल की निशादेही से उसके रहवासी मकान से एक डंडा बरामद किया, जिसकी फर्द प्रदर्श पी—10 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

30. फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—21 व बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी—25 के संबंध में गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि सोने का टुकड़ा अभियुक्त कन्हैयालाल की निशादेही से जप्त कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी—21 बनाई, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है तथा फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—25 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

31. इसी प्रकार उक्त फर्द प्रदर्श पी—21 व 25 का अन्य गवाह पी.ड. 12 विक्रमसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त कन्हैयालाल के रहवासी मकान से सोने का एक टुकड़ा वजन 27.450 ग्राम दिनांक 27.05. 2019 को जप्त कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी—21 बनाई, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा मुल्जिम कन्हैयालाल के मकान से ढलाई का सोने का टुकड़ा बरामद किया, जिसका नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी—25 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

32. इस प्रकार उक्त फर्द बरामदगी बांस का डंडा प्रदर्श पी—07 व फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—21 का अवलोकन किया जावे तो फर्द

बरामदगी बांस का डंडा प्रदर्श पी–07 में उक्त तथ्य का वर्णन है कि अभियुक्त कन्हैयालाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के तहत आगे–आगे चलकर अपने रहवासी मकान में से एक बांस का डंडा निकालकर पेश किया, जो कि वजह सबूत होने से गवाहान तनसुख व पर्वतसिंह की उपस्थिति में बरामद किया गया। फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी–21 का अवलोकन किया जावे तो उसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि अभियुक्त कन्हैयालाल ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के तहत आगे–आगे चलकर अपने रहवासी मकान के कमरे के अंदर रखे संदुक से प्लास्टिक की थैली डब्बी में रखा ढलाई सोने का टुकड़ा निकालकर पेश किया, जो कि माल मशरूका होने से कब्जा पुलिस लिया जाकर इलेक्ट्रीक कांटे पर वजन करने पर सोने के टुकड़े का वजन 27.450 ग्राम था, जिसे मौके पर सील मोहन किया गया।

33. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह के कथनों से साबित है कि अभियुक्त कन्हैयालाल ने प्रदर्श पी–35 के जरिये धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि एक ढलाई सोने का टुकड़ा उसके रहवासी मकान में छुपाकर रखा है। उक्त ईत्तला के आधार पर गवाहान पर्वतसिंह व विक्रमसिंह की उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने अभियुक्त कन्हैयालाल के रहवासी मकान से एक ढलाई सोने का टुकड़ा निकालकर पेश करने पर उसको मौके पर सील मोहर किया था। अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने जो अपनी साक्ष्य में कथन कथित किये हैं, उक्त कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह के कथनों से होती है। गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह से अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा विस्तृत रूप से जिरह की गई है। इस बाबत् गवाह पी.ड. 06 व पी.ड. 12 से अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा ऐसे कोई सुझाव नहीं पूछे गये हैं कि उनकी उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने एक ढलाई सोने का टुकड़ा बरामद नहीं किया हो। इस संबंध में गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने दौराने जिरह कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसके सामने अभियुक्त कन्हैयालाल की निशादेही से सोने का टुकड़ा बरामद नहीं किया हो। गवाह

पी.ड. 12 विक्रमसिंह ने उक्त बरामदगी के संबंध में दौराने जिरह कथन कथित किया है कि यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–21 पर उसने सी से डी हस्ताक्षर अनुसंधान अधिकारी के कहने पर पुलिस थाना मकराना के परिसर में किये हों बल्कि वे कन्हैयालाल के घर पर सवेरे लगभग 07:00 बजे पहुंचे थे।

34. इस प्रकार बरामदगी के गवाहान ने दौराने जिरह ऐसे कोई कथन कथित नहीं किये हैं, जिससे कि उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों पर अविश्वास किया जा सके। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–21 में अंकित तथ्यों तथा अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह, फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–21 के गवाहान पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह के कथनों से साबित है कि अभियुक्त कन्हैयालाल के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने उसके रहवासी मकान से एक ढलाई सोने का टुकड़ा 27.450 ग्राम उक्त गवाहान पी.ड. 06 व पी.ड 12 की उपस्थिति में बरामद किया था। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह के कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 06 व पी.ड. 12 के कथनों से होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष फर्द बरामदगी एक सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी–21 को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

35. जहां तक कि हस्तगत प्रकरण में मारपीट कारित करने में प्रयुक्त डंडे के संबंध में अभियुक्त कन्हैयालाल द्वारा दी गई ईत्तला प्रदर्श पी–33 के आधार पर उक्त डंडे को बरामद किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया है कि अभियुक्त कन्हैयालाल के द्वारा दी गई ईत्तला पर ही प्रदर्श पी–07 के मार्फत डंडा बरामद किया गया था। इस संबंध में प्रदर्श पी–07 का अवलोकन किया जावे तो उसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि अनुसंधान अधिकारी ने डंडे की बरामदगी की कार्यवाही की है। उक्त बरामदगी की कार्यवाही की पुष्टि गवाह पी.ड. 04 तनसुख व पी.ड. 06 पर्वतसिंह की कथनों से होती है अर्थात् हस्तगत प्रकरण में परिवादी मोहम्मद अयूब के साथ मारपीट कारित करने में जिस डंडे का प्रयोग किया गया है, उक्त डंडे

को जरिये फर्द प्रदर्श पी—07 अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 द्वारा गवाहान पी.ड. 04 तनसुख व पी.ड. 06 पर्वतसिंह की उपस्थिति में बरामद किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष फर्द बरामदगी एक बांस का डंडा प्रदर्श पी—07 को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

36. **जहां तक कि हस्तगत प्रकरण अभियुक्त हिम्मतसिंह से बरामदगी होने का प्रश्न है,** इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अभियुक्त हिम्मतसिंह से अनुसंधान अधिकारी के द्वारा सोने का टुकड़ा बरामद किया गया है, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्र सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त हिम्मतसिंह के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जो प्रदर्श पी—37 है, जिस पर ए से बी अभियुक्त और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—23 व फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—27 है, जिन पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, ई से एफ अभियुक्त के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं।

37. फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा अभियुक्त हिम्मतसिंह की निशादेही से जिन गवाहान के समक्ष बरामद किया गया हैं, उन गवाहान को पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस संबंध में गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त हिम्मतसिंह की निशादेही से सोने का टुकड़ा बरामद किया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी—23 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है तथा फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—27 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

38. इसी प्रकार उक्त फर्द प्रदर्श पी—23 व 27 का अन्य गवाह पी.ड. 12 विक्रमसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त हिम्मतसिंह के रहवासी मकान से लोहे की आलमारी से प्लास्टिक की थैली व डिब्बी में रखा सोने का एक टुकड़ा वजन 27.00 ग्राम जप्त कर फर्द जप्ती प्रदर्श पी—23 बनाई, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा मुल्जिम हिम्मतसिंह के मकान से ढलाई का सोने का टुकड़ा बरामद किया, जिसका नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी—27 है, जिस पर सी से डी उसके

हस्ताक्षर हैं।

39. इस प्रकार उक्त फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—23 का अवलोकन किया जावे तो उसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि अभियुक्त हिम्मतसिंह ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के तहत आगे—आगे चलकर अपने रहवासी मकान के कमरे की अलमारी के अंदर से प्लास्टिक की थैली डब्बी में रखा ढलाई सोने का टुकड़ा निकालकर पेश किया, जो कि माल मशरूका होने से कब्जा पुलिस लिया जाकर इलेक्ट्रीक कांटे पर वजन करने पर सोने के टुकड़े का वजन 27.00 ग्राम था, जिसे मौके पर सील मोहर किया गया।

40. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह के कथनों से साबित है कि अभियुक्त हिम्मतसिंह ने प्रदर्श पी—37 के जरिये धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि एक ढलाई सोने का टुकड़ा उसके रहवासी मकान में छुपाकर रखा है। उक्त ईत्तला के आधार पर गवाहान पर्वतसिंह व विक्रमसिंह की उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने अभियुक्त हिम्मतसिंह के रहवासी मकान से एक ढलाई सोने का टुकड़ा निकालकर पेश करने पर उसको मौके पर सील मोहर किया था। अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने जो अपनी साक्ष्य में कथन कथित किये हैं, उक्त कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह के कथनों से होती है। गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह से अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा विस्तृत रूप से जिरह की गई है। इस बाबत् गवाह पी.ड. 06 व पी.ड. 12 से अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा ऐसे कोई सुझाव नहीं पूछे गये हैं कि उनकी उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने एक ढलाई सोने का टुकड़ा बरामद नहीं किया हो।

41. इस प्रकार बरामदगी के गवाहान ने दौराने जिरह ऐसे कोई कथन कथित नहीं किये हैं, जिससे कि उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों पर अविश्वास किया जा सके। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी—23 में अंकित तथ्यों तथा अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह, फर्द बरामदगी प्रदर्श पी—23 के गवाहान पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह के

कथनों से साबित है कि अभियुक्त हिम्मतसिंह के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने उसके रहवासी मकान से एक ढलाई सोने का टुकड़ा 27.00 ग्राम उक्त गवाहान पी.ड. 06 व पी.ड 12 की उपस्थिति में बरामद किया था। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह के कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 06 व पी.ड. 12 के कथनों से होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष फर्द बरामदगी एक सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—23 को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

42. जहां तक कि हस्तगत प्रकरण में **अभियुक्त रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा** से अनुसंधान अधिकारी के द्वारा सोने का टुकड़ा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को बरामद किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्र सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त रविन्द्रसिंह के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जो प्रदर्श पी—34 व अभियुक्त रविन्द्रसिंह के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की एक अन्य ईत्तला दी गई, जो कि प्रदर्श पी—36 है, है, जिन पर ए से बी अभियुक्त और सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल प्रदर्श पी—20 व फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका मोटरसाईकिल प्रदर्श पी—24 है, जिन पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, ई से एफ अभियुक्त के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—22 व फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी—26 है, जिन पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ अभियुक्त व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

43. फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल व सोने का टुकड़ा अभियुक्त रविन्द्रसिंह की निशादेही से जिन गवाहान के समक्ष बरामद किये गये हैं, उन गवाहान को पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस संबंध में गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त रविन्द्रसिंह से एक मोटरसाईकिल जप्त कर फर्द जप्ती प्रदर्श पी—20 बनाई, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त फर्द प्रदर्श

पी–20 का अन्य गवाह पी.ड. 12 विक्रमसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 25.05.2019 को मुल्जिम रविन्द्रसिंह से पृथ्वीसिंह के निवास से एक मोटरसाईकिल होण्डा साईन नं. आर.जे–37–एस.जे–4123 जप्त कर फर्द जप्ती प्रदर्श पी–20 बनाई, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

44. फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी–22 व फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका सोने का टुकड़ा के संबंध में गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि सोने का टुकड़ा अभियुक्त रविन्द्रसिंह की निशादेही से जप्त कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–22 बनाई, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है तथा फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी–26 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार उक्त फर्द प्रदर्श पी–22 व 26 का अन्य गवाह पी.ड. 12 विक्रमसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा के रहवासी मकान ग्राम मोरेड से उसके कमरे में पड़ी लोहे की अलमारी से एक प्लास्टिक की थैली व डिब्बी में रखा ढलाई सोने का टुकड़ा वजन 27.250 ग्राम दिनांक 27.05.2019 को जप्त कर फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–22 बनाई, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा मुल्जिम रविन्द्रसिंह के मकान से ढलाई का सोने का टुकड़ा बरामद किया, जिसका नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी–26 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

45. इस प्रकार उक्त फर्द जप्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–20 व फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी–22 का अवलोकन किया जावे तो फर्द जप्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–20 में उक्त तथ्य का वर्णन है कि अभियुक्त रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के तहत आगे–आगे चलकर एक मोटरसाईकिल होण्डा साईन आर.जे–37–एस.जे–4123 अपने काका पृथ्वीसिंह पुत्र शोभसिंह रावणा राजपूत निवासी मोरेड के रहवासी मकान में खड़ी की हुई को हाथ लगाकर घटना में प्रयुक्त होना बताया, जो कि वजह सबूत होने से गवाहान पर्वतसिंह व विक्रमसिंह की उपस्थिति में जप्त की गई। फर्द बरामदगी सोने का टुकड़ा प्रदर्श पी–22 का अवलोकन किया जावे तो उसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि अभियुक्त

रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के तहत आगे–आगे चलकर अपने रहवासी मकान के कमरे की अलमारी के अंदर से प्लास्टिक थैली व डब्बी में रखा ढलाई सोने का टुकड़ा निकालकर पेश किया, जो कि माल मशरूका होने से कब्जा पुलिस लिया जाकर इलेक्ट्रीक कांटे पर वजन करने पर सोने के टुकड़े का वजन 27.250 ग्राम था, जिसे मौके पर सील मोहर किया गया।

46. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह के कथनों से साबित है कि अभियुक्त रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा ने प्रदर्श पी–34 के जरिये धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि उसने उसकी मोटरसाईकिल उसके काका के रहवासी मकान में छुपाकर खड़ी की है तथा प्रदर्श पी–36 के जरिये धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि एक ढलाई सोने का टुकड़ा उसके रहवासी मकान में छुपाकर रखा है। उक्त ईत्तला के आधार पर गवाहान पर्वतसिंह व विक्रमसिंह की उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने अभियुक्त रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा के काका के रहवासी मकान से मोटरसाईकिल जप्त की है तथा स्वयं अभियुक्त रविन्द्रसिंह के रहवासी मकान से एक ढलाई सोने का टुकड़ा बरामद किया है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने जो अपनी साक्ष्य में कथन कथित किये हैं, उक्त कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह के कथनों से होती है। गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह से अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा विस्तृत रूप से जिरह की गई है। इस बाबत् गवाह पी.ड. 06 व पी.ड. 12 से अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा ऐसे कोई सुझाव नहीं पूछे गये हैं कि उनकी उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने मोटरसाईकिल जप्त नहीं की हो और एक ढलाई सोने का टुकड़ा अभियुक्त रविन्द्रसिंह के रहवासी मकान से बरामद नहीं किया हो। इस संबंध में गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने दौराने जिरह कथन किया कि प्रदर्श पी–20 में वर्णित मोटरसाईकिल पृथ्वीसिंह के घर से बरामद हुई थी। गवाह पी.ड. 12 विक्रमसिंह ने उक्त जप्ती के संबंध में दौराने जिरह कथन कथित किया है कि प्रदर्श पी–20 के जरिये जप्तशुदा मोटरसाईकिल वाला स्थल आबादी

क्षेत्र में है और सी.आई. साहब द्वारा मौतबिर बनने की हिदायत पर स्वतंत्र गवाह तैयार नहीं होने पर उसे व पर्वतसिंह हैडकांस्टेबल को गवाह बनाया गया।

47. इस प्रकार जप्ती प्रदर्श पी–20 व प्रदर्श पी–22 के गवाहान ने दौराने जिरह ऐसे कोई कथन कथित नहीं किये हैं, जिससे कि उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों पर अविश्वास किया जा सके। फर्द जप्ती प्रदर्श पी–20 व फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–22 में अंकित तथ्यों तथा अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह, फर्द जप्ती प्रदर्श पी–20 व प्रदर्श पी–22 के गवाहान पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 12 विक्रमसिंह के कथनों से साबित है कि अभियुक्त रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने उसके काका के रहवासी मकान से मोटरसाईकिल व उसके स्वयं के रहवासी मकान से एक ढलाई सोने का टुकड़ा गवाहान पी.ड. 06 व पी.ड 12 की उपस्थिति में जप्त व बरामद किया था। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह के कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 06 व पी.ड. 12 के कथनों से होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष फर्द जप्ती मोटरसाईकिल प्रदर्श पी–20 व फर्द बरामदगी एक सोने का टुकड़ा को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

48. जहां तक कि **अभियुक्त मनोज से हुई बरामदगी** का प्रश्न है, इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया कि अभियुक्त मनोज द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई, जो कि प्रदर्श पी–30 है तथा एक अन्य ईत्तला प्रदर्श पी–31 है, जिन पर ए से बी अभियुक्त के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द बरामदगी राशि 5,000/–रूपये प्रदर्श पी–5 व फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका राशि 5,000/–रूपये प्रदर्श पी–08 है, जिन पर ए से बी व सी से डी गवाहान के, ई से एफ अभियुक्त के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द तस्दीक नक्शामौका सोने की दुकान व लूट की योजना प्रदर्श पी–06 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ अभियुक्त व जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

49. फर्द बरामदगी राशि 5,000/–रूपये अभियुक्त मनोज से जिन गवाहान के समक्ष बरामद किये गये हैं, उन गवाहान को पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 04 तनसुख के रूप में परीक्षित करवाया गया है। इस संबंध में गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 15.05.2019 को मुल्जिम मनोज की निशादेही से उसके रहवासी मकान से 5000/–रूपये बरामद किये, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–05 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा फर्द बरामदगीस्थल नक्शामौका राशि 5,000/–रूपये प्रदर्श पी–08 है, जिस पर भी सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त फर्द प्रदर्श पी–05 व प्रदर्श पी–08 का अन्य गवाह पी.ड. 04 तलसुख ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 15.05.2019 को मुल्जिम मनोज के रहवासी मकान से 5000/–रूपये बरामद कर सीलमोहर कर मार्क ए अंकित कर फर्द जप्ती प्रदर्श पी–05 बनाई तथा अभियुक्त मनोज की निशादेही से बरादमगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–08 बनाया, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है।

50. फर्द तस्दीक नक्शा मौका सोने की दुकान व लूट की योजना प्रदर्श पी–06 के संबंध में गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि फर्द तस्दीक नक्शा मौका सोने की दुकान व लूट की योजना प्रदर्श पी–06 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार उक्त फर्द प्रदर्श पी–06 का अन्य गवाह पी.ड. 04 तनसुख ने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्त मनोज की निशादेही पर नक्शा मौका योजनास्थल प्रदर्श पी–06 बनाया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

51. इस प्रकार उक्त फर्द बरामदगी राशि 5,000/–रूपये प्रदर्श पी–05, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका 5000/–रूपये प्रदर्श पी–08 व फर्द तस्दीक नक्शा मौका सोने की दुकान व लूट की योजना प्रदर्श पी–06 का अवलोकन किया जावे तो फर्द बरामदगी राशि 5000 रूपये प्रदर्श पी–05 में उक्त तथ्य का वर्णन है कि अभियुक्त मनोज ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के तहत आगे–आगे चलकर अपने रहवासी मकान में उत्तर दिशा में बने कमरे के उत्तर में रखे संदुक में से पांच हजार रूपये निकालकर पेश किए, जो कि वजह सबूत होने से गवाहान पर्वतसिंह व

तनसुख की उपस्थिति में जप्त किये गये। फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौक 5,000/–रूपये प्रदर्श पी–08 का अवलोकन किया जावे तो उसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि अभियुक्त मनोज ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के तहत आगे–आगे चलकर अपने रहवासी मकान से 5000 रूपये नकद कमरे में रखे संदुक में से निकालकर पेश किये, जिसके संबंध में बरामदगीस्थल का नक्शा मौका बनाया गया। इसी प्रकार फर्द तस्दीक नक्शा मौका सोने की दुकान व लूट की योजना प्रदर्श पी–06 का अवलोकन किया जावे तो उसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि अभियुक्त मनोज ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के तहत आगे–आगे चलकर अपने साथियों को सोने की दुकान व सोने को लूटने के लिए योजना बनाने बाबत् नक्शा दिखाया, जो कि अभियुक्त मनोज की निशादेही से तस्दीक नक्शा मौका सोने की दुकान व लूट की योजना बाबत् बनाया गया।

52. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह के कथनों से साबित है कि अभियुक्त मनोज ने प्रदर्श पी–30 के जरिये धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि घटना से करीब 20 दिन पहले उसने उसके साथियों के साथ सोनी से लूट करने की योजना बनाई एवं उसके साथियों को मोटरसाईकिल पर साथ ले जाकर बिदियाद में सोनी की दुकान व सोनी को दिखा कर लाया तथा प्रदर्श पी–31 के जरिये धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी कि करीब 08 महिने पहले उसके साथियों ने सोने–चांदी की रकमों का बेग, मोटरसाईकिल वाले से छीनकर ले गये, जिसमें उसके हिस्से में जो रूपये आये, वो उसने अपने रहवासी मकान में रखे हैं। उक्त ईत्तला के आधार पर गवाहान पर्वतसिंह व तनसुख की उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने अभियुक्त मनोज के रहवासी मकान से 5,000/–रूपये बरामद किये हैं। अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने जो अपनी साक्ष्य में कथन कथित किये हैं, उक्त कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 04 तनसुख के कथनों से होती है। गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 04 तनसुख से अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा विस्तृत रूप से जिरह की गई है। इस बाबत् गवाह पी.ड. 06 व पी.ड. 04 से अधिवक्ता अभियुक्तगण के द्वारा ऐसे

कोई सुझाव नहीं पूछे गये हैं कि उनकी उपस्थिति में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 ने 5,000/—रूपये बरामद नहीं किये हो और इस संबंध में कोई नक्शा मौका बरामदगीस्थल नहीं बनाया हो। इस संबंध में गवाह पी.ड. 06 पर्वतसिंह ने दौराने जिरह कथन किया कि अभियुक्त मनोज से 5000/—रूपये बरामद किए, वह रूपये अभियुक्त ने जिस दिन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी, उसी दिन बरामद किए थे। प्रदर्श पी—06 तस्दीक नक्शा मौका के वक्त मुल्जिम मनोज पुलिस अभिरक्षा में था। प्रदर्श पी—08 नक्शा मौका में वर्णित मकान में परिवार के काफी लोग रहते हैं। यह सही है कि प्रदर्श पी—08 नक्शा मौका में वर्णित कमरे में कोई ताला लगा हुआ नहीं था अर्थात् वह खुला हुआ था, जिसमें कोई भी आ—जा सकता है। अन्य गवाह पी.ड. 04 तनसुख ने उक्त फर्द प्रदर्श पी—05, 06 व 08 के संबंध में दौराने जिरह कथन कथित किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी—06 नक्शा मौका बनाया, तब अभियुक्त कस्टडी में था। प्रदर्श पी—08 में नक्शा मौका बरामदगीस्थल में मकान का मुंह उत्तर दिशा में था और उसमें तीन कमरे व परिवार में तीन—चार लोग अन्य भी थे। मुल्जिम मनोज से जो रूपये बरामद किए, वह कमरे की लट्टान पर पड़े थे। यह कहना गलत है कि उसने फर्द जप्ती प्रदर्श पी—05 व नक्शा मौका प्रदर्श पी—08 पर थाने पर हस्ताक्षर किए हो।

53. इस प्रकार फर्द बरामदगी राशि 5000/—रूपये प्रदर्श पी—05, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका 5000/रूपये प्रदर्श पी—08 व फर्द तस्दीक नक्शा मौका सोनी की दुकान व लूट की योजना प्रदर्श पी—06 के गवाहान ने दौराने जिरह ऐसे कोई कथन कथित नहीं किये हैं, जिससे कि उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों पर अविश्वास किया जा सके। उक्त फर्दों में अंकित तथ्यों तथा अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह, उक्त फर्दों के गवाहान पी.ड. 06 पर्वतसिंह व पी.ड. 04 तनसुख के कथनों से साबित है कि अभियुक्त मनोज के द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने उसके रहवासी मकान से 5000/—रूपये गवाहान पी.ड. 06 व पी.ड 04 की उपस्थिति में बरामद किये थे और बरामदगीस्थल का नक्शा मौका व फर्द तस्दीक नक्शा

मौका सोनी की दुकान व योजनास्थल भी बनाया था। अतः ऐसी स्थिति में उक्त गवाह पी.ड. 10 जितेन्द्रसिंह के कथनों की पुष्टि गवाह पी.ड. 06 व पी.ड. 04 के कथनों से होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष फर्द बरामदगी राशि 5000/—रूपये प्रदर्श पी—05, फर्द बरामदगीस्थल नक्शा मौका 5000/—रूपये प्रदर्श पी—08 तथा फर्द तस्दीक नक्शा मौका सोनी की दुकान व लूट की योजना प्रदर्श पी—06 को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

54. पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि जो सामान परिवादी के कब्जे से अभियुक्तगण के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर गंभीर उपहति कारित करते हुए लूट कारित की गई थी, वह सामान उसी रूप में अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचन से यह साबित है कि अभियुक्तगण हिम्मतसिंह, कन्हैयालाल व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा के कब्जे से क्रमशः 27.000 ग्राम, 27.450 ग्राम व 27.250 ग्राम सोने के ढलाई के टुकड़े बरामद हुए हैं। वास्तविक रूप से उक्त सोने के ढलाई के टुकड़े परिवादी मोहम्मद अयूब से जो सामान लूटा गया था, उसी का रूपान्तरण कर बनाये गये हो, इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से **गवाह पी.ड. 07 दिनेश उर्फ देवकिशन सोनी** को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन कथित किया है कि नागौर बाजार में उसकी सोने की दुकान है और वह सोने की ढलाई व घढाई का काम करता है। करीब साढे पांच साल पहले की बात है कि मोरेड निवासी कन्हैयालाल व रविन्द्र सिंह बुधा उसके पास आए। वह कन्हैयालाल को जानता था। कन्हैयालाल के पास सोने की रखडी सेट, पता, जोधपुरी झेला, चैन लेकर आया और उसे बताया कि यह रकम उसकी माता की है। और वह गांव में वाटर सप्लाई करता है। वह गांव में ट्यूबवैल करवाना चाहता है जिससे रूपयों की जरूरत होने के कारण माता की रकम को बेचना चाहता है। जिस पर उसने रकम लेने से मना कर दिया तो कन्हैयालाल ने कहाकि उक्त रकमो को गलाकर शुद्ध ढलाई का सोना दे दो तो उसने उन रकमो को गलाकर ढलाई का सोना उसे दे दिया और उक्त रकमो के तीन टुकडे करके उसे दे दिये। सोने का वजन करीब 81 ग्राम था। दौराने **जिरह** गवाह ने कथन किये कि यह सही

है कि सोने की रकमें पुरानी थी। सोने की रकमों का उसने कोई वजन नहीं किया था। कन्हैयालाल व रविन्द्र उसके पास कौनसी तारीख को आए थे, वह तारीख नहीं बता सकता, अजखुद कहा कि वर्ष 2018 में आए थे। उनको सामने बैठाकर रकमों को गलाकर उन्हें वापस दे दी थी। यह कहना गलत है कि कन्हैयालाल में उससे कोई सोने की रकमें नहीं गलाई हो। उसके पास सोना गलाने का कोई लाईसेंस नहीं है। यह सही है कि सोने के टुकड़े उसके सामने मौजूद नहीं है।

55. इस प्रकार उक्त गवाह पी.ड. 07 ने जाहिर किया कि अभियुक्तगण कन्हैयालाल व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा उसके पास सोने की रखड़ी सेट, पता, जोधपुरी झेला, चैन लेकर आये थे, जिन्होंने उक्त गहने अपनी माता के होने बताये थे। जब अभियुक्तगण उक्त रकमों/गहनों को उसे बेचना चाहते थे तो उसने उक्त रकम/गहने लेने से मना कर दिया और उसने उक्त रकमों को गलाकर शुद्ध ढलाई का सोना दे दिया। दौराने जिरह स्वयं उक्त गवाह स्वीकार करता है कि उक्त रकमों को अभियुक्तगण के समक्ष ही ढलाई करके उन्हें दे दिया था। उक्त गवाह के कथनों से साबित है कि अभियुक्तगण कन्हैयालाल व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा के द्वारा ही परिवादी से लूटे गये सोने की रखड़ी सेट, पता, जोधपुरी झेला, चैन आदि उक्त गवाह पी.ड. 07 के समक्ष लेकर आये थे, जिसने उक्त आभूषण को गलाकर सोने की ढलाई के टुकड़ों के रूप में उन्हें दे दिया था। उपरोक्त विवेचन से साबित है कि उक्त सोने के ढलाई के टुकड़े अभियुक्तगण से अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहान की उपस्थिति में बरामद किये गये हैं। उक्त सोने के ढलाई के टुकड़े, जो कि अभियुक्तगण के कब्जे से अनुसंधान अधिकारी ने दौराने अनुसंधान बरामद किये हैं, वे अभियुक्तगण के ही हो, इस बाबत् न तो अभियुक्तगण की कोई प्रतिरक्षा रही है और न ही इस संबंध में बरामदगी के किसी गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कोई सुझाव पूछा गया है और न ही इस संबंध में अभियुक्तगण ने बयान मुल्जिम में कोई प्रतिरक्षा ली है। उक्त घटना पत्रावली के अवलोकन से वर्ष 2018 की है और स्वयं अभियुक्तगण कन्हैयालाल व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा, गवाह पी.ड. 07 के समक्ष उक्त रकमो/गहनों को लेकर वर्ष 2018 में गये थे, यह तथ्य भी

गवाह पी.ड. 07 के कथनों से साबित है। अभियुक्तगण कन्हैयालाल व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा, गवाह पी.ड. 07 के समक्ष सोने की रखड़ी सेट, पता, जोधपुरी झेला, चैन लेकर न गये हो, इस बाबत् भी अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा उक्त गवाह से कोई सुझाव नहीं पूछा गया है। उक्त गवाह पी.ड. 07 के कथनों से साबित है कि जो सामान अभियुक्तगण ने परिवादी मोहम्मद अयूब से गंभीर उपहति कारित करते हुए लूटा था, उसे गलाकर सोने के ढलाई के टुकड़ों के रूप में रूपान्तरित कर दिया गया था, जिसे कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद किया गया है, अतः इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित उक्त गवाह पी.ड. 07 के कथनों से इस बाबत् लिंक साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है कि अभियुक्तगण से जो सोने के ढलाई के टुकड़े अनुसंधान अधिकारी द्वारा बरामद किये गये हैं, वह वास्तविक रूप से अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ गंभीर उपहति कारित करते हुए जो सामान लूटा गया था, वह वही सामान था अर्थात् अभियुक्तगण से वही सामान बरामद हुआ है, जो कि उनके द्वारा परिवादी से गंभीर उपहति कारित कर लूटा गया था। इस प्रकार इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कड़ीबद्ध साक्ष्य पेश हुई है।

56. उपरोक्त विवेचन से यह भी तथ्य साबित होता है कि अभियुक्त मनोज के द्वारा ही परिवादी मोहम्मद अयूब की दुकान अन्य अभियुक्तगण को दिखाकर घटना कारित करने से पहले आपराधिक षड्यंत्र करते हुए योजना बनाई गई थी कि किस प्रकार लूट कारित करनी है और उपरोक्त विवेचन से यह भी तथ्य साबित है कि परिवादी मोहम्मद अयूब के साथ अभियुक्तगण कन्हैयालाल, हिम्मतसिंह व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा के द्वारा गंभीर उपहति कारित करते हुए जो लूट कारित की गई है, उसके पश्चात् अभियुक्त मनोज को अन्य तीनों अभियुक्तगण के द्वारा उसके हिस्से के 5000/—रूपये दिये गये थे। यह सही है कि पत्रावली पर परिवादी से अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर कोई रूपये की लूट कारित नहीं की गई है लेकिन अभियुक्त मनोज ने जो आपराधिक षड्यंत्र करते हुए अन्य अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी के साथ गंभीर उपहति कारित करते हुए जो लूट कारित

की है, उसकी योजना बनाई थी, जिसके तहत ही उसे अन्य तीनों अभियुक्तगण के द्वारा 5000/—रूपये दिये गये थे, अतः ऐसी स्थिति में उक्त 5,000/—रूपये परिवादी से अभियुक्तगण कन्हैयालाल, हिम्मतसिंह व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा के द्वारा लूटे नहीं गये हैं लेकिन जो रूपये अभियुक्त मनोज से बरामद हुए हैं, वह परिवादी के साथ लूट होने के पश्चात् अभियुक्त मनोज ने जो आपराधिक षड्यंत्र के तहत योजना बनाई थी, उसकी ऐवज में उसे प्राप्त हुये थे। अभियुक्त मनोज से जो 5000/—रूपये बरामद हुए हैं, वह अन्य अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी के साथ गंभीर उपहति कारित करते हुए जो लूट कारित की गई है, उसकी ऐवज में प्राप्त नहीं हुए हो, इस बाबत् बरामदगी के गवाहान से अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने जिरह कोई सुझाव नहीं पूछे हैं और न ही इस संबंध में अभियुक्त मनोज के द्वारा अपने बयान मुल्जिम में कोई प्रतिरक्षा ली गई है।

57. जहां तक कि हस्तगत प्रकरण में घटना की दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी मोहम्मद अयूब के साथ डंडे से मारपीट कर गंभीर प्रकृति की चोटें कारित करने का प्रश्न है अर्थात् **धारा 325 भा.दं.सं.** का प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादी मोहम्मद अयूब को पी.ड. 03 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी मोटरसाईकिल को लात मारने से वह नीचे गिर गया था, जिससे उसके हाथ में चोट लगी थी। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि यह कहना गलत है कि उसने साथ कोई मारपीट नहीं हुई हो। इस संबंध में अभयोजन पक्ष की ओर से चिकित्सक पी.ड. 05 डॉ. योगेन्द्र सिंह कच्छावा को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 19.09.2018 को पुलिस प्रतिवेदन पर मोहम्मद अयूब का चोट संबंधी मेडिकल परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी—12 बनाया। एक्स—रे रिपोर्ट प्रदर्श पी—13 व एक्स—रे प्लेट प्रदर्श पी—14 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी—12 में वर्णित चोट सं. 01 में किसी प्रकार की बाह्य चोट का निशान अंकित नहीं था और न ही कोई सूजन, नीलगू था। उक्त चोट पहले से किसी प्रकार की अंदरूनी कोई चोट हो तो इस प्रकार का दर्द होने की

संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि आहत बायें हाथ के बल गिर जाये तो भी इस प्रकार का दर्द होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रदर्श पी–13 में वर्णित अस्थिभंग मजरूब के हाथ के बल गिर जाने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में आहत का एक्स–रे करने वाला गवाह पी.ड. 09 डॉ बलवीरसिंह ढाका परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया कि दिनांक 06.10.2018 को आहत का एक्स–रे किया था। इस संबंध परिवादी मोहम्मद अयूब के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–12 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 का अवलोकन किया जावे तो उसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि आहत के बायें हाथ पर चोट है, जिसके संबंध में एक्स–रे करने पर उक्त चोट भौंटे हथियार सेक कारित होकर अस्थिभंग होकर गंभीर प्रकृति की चोट थी।

58. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित आहत/परिवादी पी.ड. 03 मोहम्मद अयूब, आहत का मेडिकल परीक्षण करने वाला गवाह पी.ड. 05 डॉ. योगेन्द्र सिंह कच्छावा व एक्स–रे करने वाला गवाह पी.ड. 09 डॉ. बलवीर सिंह ढाका तथा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–12 व एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 व उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य साबित है कि दिनांक 19.09.2018 को अभियुक्तगण द्वारा लूट की घटना कारित करते समय उसके साथ मारपीट की गई थी, जिससे उसके बायें हाथ में अस्थिभंग हुआ था। ऐसे में उक्त गवाह पी.ड. 05 व पी.ड. 09 के कथनों से साबित है कि आहत/परिवादी मोहम्मद अयूब के गंभीर उपहति कारित हुई है और अभियुक्त मनोज के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर गंभीर उपहति कारित कर लूट कारित करने में अभियुक्तगण कन्हैयालाल, हिम्मतसिंह व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा शामिल थे, यह उपरोक्त विवेचन से साबित होता है। स्वयं परिवादी मोहम्मद अयूब ने शिनाख्तगी में अभियुक्त कन्हैयालाल की पहचान की है। परिवादी द्वारा अन्य अभियुक्तगण हिम्मतसिंह व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा की पहचान नहीं होने के कारण अभियुक्तगण बचाव का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में परिवादी के साथ गंभीर उपहति कारित करते हुए जो सामान लूटा गया है, उसको ढलाने के पश्चात् जो सोने के ढलाई के टुकड़े बनाये गये थे, वे अभियुक्तगण से

बरामद हुए हैं, अतः उपरोक्त विवेचन से अभियुक्तगण हिम्मतसिंह व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा की पहचान न होने से भी किसी प्रकार का कोई लाभ अभियुक्तगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

59. जहां तक कि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किये कि जो सामान परिवादी चोरी होना बताता है, उसके संबंध में परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में गहनों पर कौनसे रंग के नगीने लगे हुए थे, उनका कितना वजन था, झेले पत्ते में कौनसे रंग के नगीने थे, पायजेब किस प्रकार की थी, यह नहीं लिखा है और न ही गहनों की शिनाख्तगी करवाई गई है, साथ ही एफ.आई.आर. में जो सामान अभियुक्तगण के द्वारा लूट किया जाना बताया है, वह कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किया जावे, जबकि इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि परिवादी द्वारा दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. में अंकित तथ्यों की पुष्टि पत्रावली पर आई सम्पूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से होती है, ऐसे में जो अधिवक्ता अभियुक्तगण ने उक्त आपत्तियां उठाई है, वह माने जाने योग्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

60. जहां तक कि परिवादी के बेग में रखा सामान जब अभियुक्तगण के द्वारा घ टनास्थल से छीना था तो उस समय उक्त बेग में रखे गहनों में कौनसे नगीने लगे हुए थे, उनका कितना वजन था, झेला पत्ते में कौनसे रंग के नगीने लगे हुए थे और पायजेब किस प्रकार की थी, इस संबंध में परिवादी मोहम्मद अयूब के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए प्रार्थना—पत्र प्रदर्श पी—02 पेश किया गया है और स्वयं को न्यायालय के समक्ष पी.ड. 03 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—02 का अवलोकन किया जावे तो उससे यह तथ्य साबित होता है कि एफ.आई.आर. में जो सामान अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी से लूटकर ले जाना बताया गया है, उनका कितना वजन था, उनसे कौनसे रंग के नगीने लगे हुए थे और पायजेब किस प्रकार की थी, ऐसे कोई तथ्य का अंकन उक्त एफ.आई. आर. प्रदर्श पी—02 में है। स्वयं परिवादी पी.ड. 03 स्वीकार करता है कि

प्रदर्श पी–02 में वर्णित रखड़ी सेट में किस प्रकार के कौनसे रंग के नगीने लगे हुए थे, उसका कितना वजन था व पायजेब किस प्रकार की थी, इस बाबत् कोई अंकन नहीं है लेकिन मात्र परिवादी पी.ड. 03 के द्वारा एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02 में अभियुक्तगण के द्वारा लूट गये सामान/गहने के बाबत् उक्त कथन नहीं करने मात्र से अभियुक्तगण को किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। चूंकि परिवादी ने जो सामान एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02 में अंकित किये हैं और उक्त सामान के बाबत् ही परिवादी पी.ड. 03 मोहम्मद अयूब के द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा लूटना कथन कथित किया गया है, उक्त सामान उसी रूप में बरामद नहीं हुआ है बल्कि सोने की डल्लियां बरामद हुई है। अतः एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02 में परिवादी पी.ड. 03 के द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा उससे लूटे गये सामान की विशेष पहचान बाबत् तथ्य वर्णित नहीं करने से भी अभियुक्तगण को इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

61. जहां तक कि एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02 में वर्णित सामान की शिनाख्तगी नहीं कराने का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जो सामान अभियुक्तगण की निशादेही से बरामद हुआ है, वह सोने की डल्लियां हैं जबकि एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–02 में वर्णित तथ्यानुसार व परिवादी पी.ड. 03 के कथनानुसार अभियुक्तगण के द्वारा रखड़ी, चैन, पायजेब, कंठी, एक पत्ता सोने का आदि सामान/जेवरात लूटे गये थे। अतः परिवादी पी.ड. 03 से सोने की डल्लियों के बाबत् शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं करने से भी अभियोजन पक्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

62. इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाहान पी.ड. 01 नवाब अली, पी.ड. 02 तैयब अली नक्शा मौका प्रदर्श पी–01 के गवाहान हैं तथा गवाह पी.ड. 08 उदयलाल, पी.ड. 11 छोटूसिंह पुलिसकर्मी होकर औपचारिक प्रकृति के गवाहान मात्र है, जिन्होंने स्वयं द्वारा दौराने अनुसंधान की गई कार्यवाही को ही अपनी साक्ष्य में दोहराया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई सम्पूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा उपरोक्त सम्पूर्ण

विवेचन से यह तथ्य साबित होता है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 19.09.2018 को शाम 7:00 बजे के लगभग परिवादी अयूब बन्दुकिया ग्राम बिदियाद से अपनी सोने—चांदी की दुकान से एक थैले में सोने—चांदी के गहने लेकर मोटरसाईकिल से बोरावड़ जाते समय कोलाडूंगरी व बोरावड़ के बीच घुमाव पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में पीछे दूसरी मोटरसाईकिल पर आकर उसके धक्का मारकर डंडे से मारपीट कर गंभीर उपहति कारित कर सोने—चांदी के गहनों का बेग व मोटरसाईकिल लूटकर ले गये। फलस्वरूप अभियुक्तगण हिम्मतसिंह, कन्हैयालाल, मनोज व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा को धारा 325, 397 सपठित धारा 120बी भा.द.सं. के अपराधों के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

63. फलतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण हिम्मतसिंह, मनोज, कन्हैयालाल व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा के विरूद्ध धारा 325, 397 सपठित धारा 120बी भा.द.सं. के अपराधों के आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण हिम्मतसिंह, मनोज, कन्हैयालाल व रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा धारा 325, 397 सपठित धारा 120बी भा.द.सं. के अपराधों के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

—:: आदेश ::—

64. परिणामतः अभियुक्तगण 1. हिम्मतसिंह पुत्र हेमसिंह, उम्र 32 वर्ष, 2. रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा पुत्र शत्रुधनसिंह, उम्र 28 वर्ष, 3. कन्हैयालाल पुत्र भैरूबक्ष, उम्र 47 वर्ष, 4. मनोज पुत्र पोकरराम, उम्र 26 वर्ष, निवासीगण मोरेड, पुलिस थाना परबतसर, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान को धारा 325, 397 सपठित धारा 120बी भा.दं.सं. के आरोपों के अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने के आधार पर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(आशा चौधरी, RJS, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

65. अभियुक्तगण के सबंध में सजा के बिन्दू पर सुना गया।

66. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है, अभियुक्तगण हिम्मतसिंह, रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा व मनोज क्रमशः 32 वर्षीय, 28 वर्षीय व 26 वर्षीय नौजवान है। विधि की अज्ञानता के कारण तथाकथित घटना कारित हुई है, वर्ष 2018 से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः सजा में नरमी का रूख अपनाया जावे। जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण को उचित सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

67. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

68. इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में परिवादी मोहम्मद अयूब का दूसरी मोटरसाईकिल से पीछा कर उसके धक्का मारकर डंडे से मारपीट कर गंभीर उपहति कारित कर सोने—चांदी के गहनों का बेग व मोटरसाईकिल लूटकर लूट कारित करने का अपराध है, जो कि अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के अपराध का आरोप है, जिसमें अभियुक्तगण किसी प्रकार की सहानुभूति के पात्र नहीं है। वर्तमान में इस प्रकार की घटनाओं में अभिवृद्धि हो रही है। अतः अपराधों की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को सख्त से सख्त दण्डादेश से दंडादिष्ट किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि ऐसे कुत्सित एवं घृणित मानसिकता वाले व्यक्तियों के मन में इस प्रकार के अभिशप्त अपराध को करने के संबंध में भय रहे एवं वे इस प्रकार के अपराधों से बाज आये।

सजा के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त **State of Karnataka Vs. Krishnappa (2000) 4 SCC 75 (3JJ)** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "The courts are expected to properly operate the sentencing system and to impose such sentences for a proved offence, which may serve as a deterrent for the commission of like offences by
others,."

इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त **State of M.P Vs. Saleem @**

Chamaru and others 2005 (5) SCJ 635 में माननीय उचचतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " undue sympathy to impose inadequate sentence would do more harm to the judicial system to undermine publicconfidence .It is the duty of every court to award proper sentence. Imposition of sentence without considering its effect on the social order will be a futile exercise. If adequate sentence is not awarded court will be failing in its duty. "

अन्य न्यायिक दृष्टान्त **State of Rajasthan Vs. Vinod Kumar (2012) 6 SCC 770** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "it has been observed that punishment should always be proportionate / commensurate to the gravity of the offence. Religion , race, caste, economic or social status of the accused or victim are not the relevant factors for determining the quantum of punishment."

इसलिए उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को धारा 325, 397 सपठित धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है:—

—:: दण्डादेश ::—

69. परिणामतः अभियुक्तगण 1. हिम्मतसिंह पुत्र हेमसिंह, उम्र 32 वर्ष, 2. रविन्द्रसिंह उर्फ बुधा पुत्र शत्रुधनसिंह, उम्र 28 वर्ष, 3. कन्हैयालाल पुत्र भैरूबक्ष, उम्र 47 वर्ष, 4. मनोज पुत्र पोकरराम, उम्र 26 वर्ष, निवासीगण मोरेड, पुलिस थाना परबतसर, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान को धारा 325, 397 सपठित धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषिसिद्ध घोषित किया जाकर उक्त दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है :—

— धारा 397 सपठित धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 07 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

— धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 02 वर्ष के कठोर कारावास व 7000/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्तगण 01 माह का साधारण कारावास

अतिरिक्त रूप से भुगतेंगे।

70. अभियुक्तगण की उक्त सभी मूल सजाएं साथ–साथ चलेगी। अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि उनकी मूल सजा में समायोजित की जावे, इस आशय का नोट अभियुक्तगण के सजा वारंट पर अंकित किया जावे। अभियुक्तगण का सजा वारंट आज ही अविलम्ब नियमानुसार तैयार किया जाकर उप कारापाल, उप कारागृह, परबतसर को सजा भुगताने हेतु प्रेषित किया जावे। निर्णय की एक सत्यप्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

71. प्रकरण में जब्तशुदा होण्डा साईन मोटरसाईकिल नं. आर.जे–37–एस. जे–4123 पूर्व में सुपुर्दगीनामे–जमानतनामे पर दी गई है, जिसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील स्वतः निरस्त समझा जावे।

72. प्रकरण में जप्तशुदा ढलाई सोने के टुकड़े 27.450 ग्राम, 27.250 ग्राम व 27.000 ग्राम के संबंध में बाद गुजरने मियाद अपील परिवादी पक्ष को नियमानुसार लौटाया जावे।

(आशा चौधरी, RJS, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।

73. निर्णय आज दिनांक 30.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी, RJS, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान।